SHAKTI®

PUMPING LIFE

Date: 30.07.2022

To,	To,
The Secretary, Listing Department The National Stock Exchange of India Ltd. Exchange plaza, BKC, Bandra (E) Mumbai-MH 400051.	The Secretary, Listing Department The BSE Ltd. P.J. Towers, Dalal Street Mumbai- MH 400001.

REF :-(ISIN- INE908D01010) SCRIP CODE BSE-531431, NSE Symbol -SHAKTIPUMP

Sub:- Newspaper Advertisement of the Notice to Shareholders regarding transfer of Equity Shares to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Account.

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby enclose copies of newspaper advertisement published in **(Business Standard Hindi and Free Press English) on Saturday, 30th July, 2022**, informing the shareholders about proposed transfer of equity shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Account in respect of those shares on which dividend have remained unclaimed for seven consecutive years or more as per the provisions of the Companies Act, 2013 and rules informed thereunder.

The Company has also uploaded the details of such shareholders and shares due for transfer to IEPF on its website www.shaktipumps.com

Kindly take on record the above information for your reference.

Thanking you,

Yours faithfully

For Shakti Pumps (India) Limited

Ravi Patidar
Company Secretary

SHAKTI PUMPS (INDIA) LTD.

TATA

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत पताः 11वां तल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोवर परेल, मुंबई–400013
शाखा पताः टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, 49 जोन ।।, निकट सत्याविलास होटल, एम.पी. नगर भोपाल–462016 एवं टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, 9/1/1, सूरज भवन, द्वितीय तल, यस बैंक के ऊपर, एम.जी. रोड, इंदौर–452001

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु सूचना

(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(1) के अंतर्गत)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(1) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ ई–नीलामी सूचना

एतद्द्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप में निम्न उधारकर्ता तथा/सह–उधारकर्ता, अथवा उनके विधिक उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों (उधारकर्ताओं) को विशिष्ट रूप में सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि. (टीसीएचएफएल) के पास बंधककृत निम्न विवरणित अचल संपत्ति, जिसका भौतिक कब्जा टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, का विक्रय 20–08–2022 को ''जैसी है जहां है'' एवं ''जैसी है जो है'' और ''वहां जो कुछ भी हैं'' आधार पर, निम्न वर्णित उधारकर्ता एवं सह–उधारकर्ताओं की ओर बकाया देयराशियों की वसूली के लिए किया जाएगा। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि जमा का उल्लेख नीचे किया गया है। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि विक्रय के किसी स्थगन/समापन के न होने पर, उक्त प्रतिभूत परिसंपत्ति/संपत्ति का विक्रय ई–नीलामी द्वारा उक्त 20–08–2022 को अप. 2.00 बजे किया जाएगा। ई–नीलामी में प्रतिभागिता करने के लिए धराज के डिमांड ड्राफ्ट से युक्त मोहरबंद लिफाफा टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी के पास 18–08–2022 को सायं 5 बजे तक अथवा इससे पूर्व शाखा के पते, टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, 49 जोन ।।, निकट सत्याविलास होटल, एम.पी. नगर भोपाल–462016 एवं टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, 9/1/1, सूरज भवन, द्वितीय तल, यस बैंक के ऊपर, एम.जी. रोड, इंदौर–452001 पर प्रस्तुत/जमा करना होगा।

प्रतिभूत परिसंपत्ति/अचल संपत्ति का विक्रय यहां इसमें निम्न विवरणित संक्षिप्त विवरणों के अनुसार ''जैसी है जहां है अवस्था'' पर आधारित होगाः

क्र. सं.	ऋण खाता सं. और शाखा	उधारकर्ता(ओं)/सह–उधारकर्ता(ओं)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि/गारंटर(रों) के नाम	मांग सूचना के अनुसार राशि	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि
1.	95799 51 एवं 95788 78	पंकज कुमार प्रजापति (उधारकर्ता), श्रीमती रजनी प्रजापति (सह–उधारकर्ता),	रु. 3,19,988/– (रुपए तीन लाख उन्नीस हजार नौ सौ अठासी मात्र) की राशि आपके द्वारा अनुबंध सं. 9579951 के तहत देय और बकाया है तथा रु. 6,17,308/– (रुपए छह लाख सत्रह हजार तीन सौ आठ मात्र) की राशि आपके द्वारा अनुबंध सं. 9578878 के तहत देय और बकाया है और इस प्रकार आपकी तरफ कुल रु. 9,37,296/– (रुपए नौ लाख सैंतीस हजार दो सौ छियानवे मात्र) की राशि बकाया है। ——— 05–05–2021	रु. 7,65,000/– (रुपए सात लाख पैंसठ हजार मात्र)	रु. 76,500/– (रुपए छहत्तर हजार पांच सौ मात्र)
2.	96818 19 एवं 96800 98	श्री दिलीप कुमार मगलानी (उधारकर्ता), सुश्री प्रीति मंगलानी (सह–उधारकर्ता),	रु. 8,37,762/– (रुपए आठ लाख सैंतीस हजार सात सौ बासठ मात्र) की राशि आपके द्वारा अनुबंध सं. 9680098 के तहत देय और बकाया है तथा रु. 12,47,523/– (रुपए बारह लाख सैंतालीस हजार पांच सौ तेईस मात्र) की राशि आपके द्वारा अनुबंध सं. 9681819 के तहत देय और बकाया है और इस प्रकार आपकी तरफ कुल रु. 20,85,285/– (रुपए बीस लाख पिचासी हजार दो सो पिचासी मात्र) की राशि बकाया है। ——— 10–06–2021	रु. 20,60,000/– (रुपए बीस लाख साठ हजार मात्र)	रु. 2,06,000/– (रुपए दो लाख छह हजार मात्र)
3.	98458 81	अशोक कुमार सोनी प्रजापति (उधारकर्ता), ज्योति बाला सोनी (सह–उधारकर्ता),	रु. 10,82,159/– (रुपए दस लाख बयासी हजार एक सौ उनसठ मात्र) ——— 11–12–2021	रु. 13,50,000/– (रुपए तेरह लाख पचास हजार मात्र)	रु. 1,35,000/– (रुपए एक लाख पैंतीस हजार मात्र)

अचल संपत्ति का विवरण : सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : अचल सम्पत्ति एक फ्रीहोल्ड आवासीय फ्लैट नंबर 306, तृतीय तल, परिमाप प्लॉट एरिया 460.00 वर्ग फीट अथवा 42.82 वर्ग मीटर, जो म्युनिसपलिटी मंडीदीप वार्ड नंबर 1 तहसील गोहरगंज एवं जिला रायसेन, मध्य प्रदेश में दीप नगर कालोनी में भू राजस्व सर्वे नंबर 155/2 के भाग प्लॉट 16, 17, 22 पर स्थित दीप टावर नामक बहुमंजिले आवासीय भवन में अवस्थित है। और चौहद्दी : पूर्व– फ्लैट नंबर 301, पश्चिम– प्लॉट नंबर 18, उत्तर– फ्लैट नंबर 301, दक्षिण– रोड

अचल संपत्ति का विवरण : सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : अचल सम्पत्ति एक फ्लैट/यूनिट नंबर 101, प्रथम तल, परिमाप सुपर बिल्ट अप एरिया 850.00 वर्ग फीट अथवा 78.99 वर्ग मीटर, जो बैराठी कालोनी नंबर 1, तहसील एवं जिला इंदौर, मध्य प्रदेश में ब्लॉक नंबर 31 के भाग पर (भाग को भाग सं. सी के नाम से जाना जाता है) निर्मित "लीला कुंज" नामक बहुमंजिले आवासीय भवन में अवस्थित है। और चौहद्दी : पूर्व– ब्लॉक नंबर 31 ए एवं बी का भाग, पश्चिम– नगर निगम की गली, उत्तर– नगर निगम की गली, दक्षिण– फ्लैट/यूनिट नंबर 102

अचल संपत्ति का विवरण : सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : अचल सम्पत्ति आवासीय प्लॉट, प्लॉट नंबर 86 का उत्तरी भाग, परिमाप प्लॉट एरिया 750.00 वर्ग फीट अथवा 69.67 वर्ग मीटर, जो ग्राम : बरबाड, तहसील एवं जिला रतलाम मध्य प्रदेश में भू राजस्व सर्वे नंबर 275/5 में "त्रिमूर्ति नगर" नामक कालोनी में अवस्थित है। और चौहद्दी : पूर्व– प्लॉट नंबर 102, पश्चिम– रोड, उत्तर– अन्य भूमि, दक्षिण– प्लॉट नंबर 86 का बाकी भाग

नीलामी में, जनसाधारण को व्यक्तिगत रूप में अपनी बोली(लियां) जमा/प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। उधारकर्ता(ओं)/सह–उधारकर्ता(ओं) को एतद्द्वारा इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिवसों के अंदर भावी ब्याज के साथ कुल बकाया देयराशियों का भुगतान करने के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। अंतिम अवसर का लाभ उठाकर भुगतान करने में विफल रहने पर अचल संपत्ति को अनुसूची के अनुसार बेच दिया जाएगा। ई–नीलामी उस स्थिति में भी रोक दी जाएगी, यदि ब्याज एवं लागतों (विक्रय की लागत सहित) के साथ उपर्युक्तानुसार देय राशि 'प्राधिकृत अधिकारी' को भुगतान कर दी जाती है अथवा अधिकारी की संतुष्टि हेतु इस बात का साक्ष्य दिया जाता है कि ऐसे प्रतिभूत ऋण व इसके ब्याज एवं लागतों की राशि का नीलामी की तिथि से पूर्व भुगतान कर दिया गया है। कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जो इस विक्रय के संबंध में कोई भी कार्य–दायित्व निभा रहा है, यद्यपि वह कार्य–दायित्व को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में ही क्यों न निभा रहा हो, तथापि वह बोलीदान नहीं कर सकता, बेची गई अचल संपत्ति में कोई हित उपार्जित नहीं कर सकता अथवा उपार्जित करने का प्रयास नहीं कर सकता।

विक्रय, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 में निर्धारित शर्तों तथा निम्नलिखित भावी शर्तों के अधीन होगाः

ई–नीलामी पोर्टल https://sarfaesi.auctiontiger.net के माध्यम से 20–08–2022 को अप. 2.00 बजे से लेकर के अप. 3.00 बजे तक 10 मिनटों प्रत्येक के असीमित विस्तार के साथ संचालित की जाएगी।

नियम एवं शर्तें: (1) यहां इसमें निम्न दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट विवरण यद्यपि अधोहस्ताक्षरकर्ता की संपूर्ण जानकारी के अनुसार वर्णित किए गए हैं, तथापि अधोहस्ताक्षरकर्ता इस उद्घोषणा में हुई/होनेवाली किसी त्रुटि, त्रुटिपूर्ण–विवरण अथवा चूक हेतु उत्तरदायी नहीं होंगे। बोली राशि से संबंधित, अथवा बोलीदाता से संबंधित, किसी विवाद के उत्पन्न होने की स्थिति में अचल संपत्ति को एक बार फिर से नीलामी के लिए रख दिया जाएगा, जो प्राधिकृत अधिकारी के विवेकाधीन होगा। (2) अचल संपत्ति का विक्रय आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं किया जाएगा। (3) बोली वृद्धि राशि रु. 10,000/– (रुपए दस हजार मात्र) होगी। (4) संपत्ति के क्रयार्थ जमा/प्रस्तुत की गई समस्त बोलियों के साथ उपर्युक्तानुसार धरोहर राशि ''टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि'' के पक्ष में आहरित शाखा पते पर भुगतानयोग्य डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से संलग्न होनी चाहिए। नीलामी के उपरांत असफल बोलीदाओं को डिमांड ड्राफ्ट वापस कर दिए जाएंगे। एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के माध्यम से धराज के भुगतान हेतु कृपया प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें। (5) सर्वोच्च बोलीदाता को तब ही सफल बोलीदाता के रूप में घोषित किया जाएगा, जब वह सदैव बोलीदान हेतु विधिक रूप में अर्हक पाया जाता है और इसके अतिरिक्त जब उसकी बोली राशि आरक्षित मूल्य से कम नहीं हो। यह 'प्राधिकृत अधिकारी' के विवेकाधीन होगा कि वे उस स्थिति में सर्वोच्च बोली की स्वीकृति को अस्वीकार कर सकते हैं जब उन्हें यह ज्ञात हो कि प्रस्तावित मूल्य स्पष्टतः इतना अपर्याप्त है कि वह बोलीदान करने के लिए अनुचित लग रहा है। (6) अभिलेखित कारणों के लिए यह 'प्राधिकृत अधिकारी' के विवेक पर होगा कि वे विक्रय स्थगित कर दें/उसे समाप्त कर दें। (7) अचल संपत्ति का अवलोकन, पूर्व नियुक्ति के साथ 10–08–2022 को 11.00 बजे से लेकर के 5.00 बजे तक किया जा सकता है। (8) एक सफल बोलीदाता के रूप में घोषित हो चुके व्यक्ति को तत्काल ऐसी घोषणा के बाद, क्रयराशि/बोली की 25 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी, जिसमें धराज राशि भी सम्मिलित होगी, और यह राशि 'प्राधिकृत अधिकारी' के पास 24 घंटों के अंदर जमा करनी होगी, और यह राशि जमा करने में चूक होने पर संपत्ति को तत्काल प्रभाव से निजी संधि द्वारा की जानेवाली नई नीलामी/विक्रय हेतु रख दिया जाएगा। (9) यदि उपरोक्तानुसार आंशिक राशि जमा कर दी जाती है तो क्रयराशि की शेष रकम का भुगतान क्रेता द्वारा 'प्राधिकृत अधिकारी' को संपत्ति के विक्रय की अभिपुष्टि की तिथि से 15वें दिवस को अथवा इससे पूर्व करना होगा, इसमें ऐसा दिवस छूट जाएगा, अथवा यदि 15वें दिन रविवार या अन्य अवकाश पड़ता है तो तब 15वां दिवस जो होगा वो अवकाशों के बाद आनेवाला प्रथम कार्यालय दिवस होगा। (10) ऊपर वर्णित अवधि के अंदर किसी भुगतान में चूक होने की स्थिति में संपत्ति को निजी संधि द्वारा नई नीलामी/विक्रय हेतु रख दिया जाएगा। धराज सहित अन्य जमा राशियों को टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि. द्वारा जब्त कर लिया जाएगा और चूककर्ता क्रेता संपत्ति से संबंधित समस्त दावों से वंचित हो जाएगा। (11) टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि. को ज्ञात किसी भारग्रस्तता के विवरण, जिस हेतु संपत्ति हैः शून्य हैं। इच्छुक बोलीदाता को सलाह है कि वे संवैधानिक प्रदेयताओं जैसे कि सपंत्ति कर, विद्युत इत्यादि के बकायों सहित संपत्ति पर भारग्रस्तताओं के संबंध में अपने स्वयं के स्तर पर स्वतंत्र जांच–पड़ताल कर लें। (12) किसी अन्य विवरण के लिए अथवा ई–नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण की प्रक्रिया हेतु प्रस्तावित बोलीदातागण सेवा प्रदाता, मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर), पता : बी–704, वॉल स्ट्रीट–।।, ओरिएंट क्लब के सामने, निकट गुजरात कालेज, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद–380006, गुजरात, भारत मोबाइल नं. 9265562821 एवं फोन : 079 61200594/598/559/587/554, ई–मेल आईडीः Gujarat@auctiontiger.net अथवा श्री मनीष बंसल, ई–मेल आईडीः Manish.Bansal@tatacapital.com प्राधिकृत अधिकारी, से मोबाइल नं. 8588983696 पर संपर्क कर सकते हैं। कृपया अपने प्रश्नों को व्हाट्सऐप नंबर – 9999078669 पर प्रेषित करें। (13) सर्वोच्च घोषित बोली राशि पर 1 प्रतिशत का टीडीएस लागू होगा जिसका सर्वोच्च बोलीदाता द्वारा भुगतान किया जाना है। सर्वोच्च बोलीदाता द्वारा भुगतान को स्वामी/उधारकर्ता(ओं) के पैन के अंतर्गत जमा करने की आवश्यकता है और चालॉन की प्रति हमारी कंपनी के पास जमा/प्रस्तुत करनी होगी। (14) उपरोक्त विवरणों के लिए कृपया प्रतिभूत ऋणदाता की वेबसाइट में उपलब्ध निम्न लिंक www.https://bit.ly/3JcCnQ1 का संदर्भ ग्रहण करें।

कृपया नोट करें – टीसीएचएफएल ने इस संपत्ति के विक्रय/नीलामी के लिए उक्त वर्णित नीलामकर्ता साझीदार के अलावा किसी अन्य ब्रोकर/एजेंट को कार्यव्यस्त नहीं किया है। इच्छुक पक्षकारों को इस विषय के संबंध में पूछे जानेवाले समस्त प्रश्नों एवं पूछताछों के लिए केवल अधोहस्ताक्षरकर्ता अथवा प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करना चाहिए।

स्थानः एमपी **हस्ता./–प्राधिकृत अधिकारी,**
दिनांकः 30–07–2022 **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि.**

कब्जा सूचना

(अचल संपत्ति के लिए) नियम 8(1)

चूंकि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 व 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में आईएफएल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी मौजूदा अधोहस्ताक्षरी ने उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर नीचे मौजूदा सूचना में वर्णित राशि का भुगतान करने के लिए निम्नलिखित ऋणी/यों को बुलाने के लिए एक मांग सूचना जारी की थी।

LAN No.	ऋणी/यों	राशि	मांग सूचना तिथि	13(4) नियम व तिथि	संपत्ति पता
LNUJN 00620-210001 728	श्री घनश्याम और श्रीमती सवांत्रा बाई	Rs. 1,88,540/-	18.05.2022	26-07-2022	मकान नं. 30 पटवारी हलका नं. 65, सर्वे 311, ग्राम पंचायत बमनापति, तहसील बारनगर, जिला उज्जैन 456222

ऋणी राशि का भुगतान करने में असफल रहे, एतद्द्वारा ऋणी और सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में यहां नीचे वर्णित संपत्ति पर सांकेतिक कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से ऋणी और सर्वसाधारण को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेन–देन यहां नीचे वर्णित राशि और उसपर ब्याज सहित आईएफएल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा।

स्थान : उज्जैन — आईएफएल हाउसिंग फाइनेंस लि.
दिनांक : 29.07.2022 — प्राधिकृत अधिकारी

---

equitas Small Finance Bank

इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक लि.

(पूर्व में इक्विटस फाइनेंस लि. के रूप में ज्ञात)
पंजीकृत कार्यालयः नं. 769, स्पैंसर प्लाजा, चौथी मंजिल, फेज–।।, अन्ना सलाई, चैन्नई, टीएन–600 002
044–42995000, 044–42995050

मांग सूचना

अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित ऋणी/यों ने **इक्विटस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (ईएचएफएल)/इक्विटस फाइनेंस लिमिटेड (ईएफएल)/इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक लि. (ईएसएफबी)** से ऋण प्राप्त किया था। उक्त ऋणी/यों किश्त का भुगतान करने में असफल रहे हैं जिससे खाते को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिशा–निर्देशों के अनुसार गैर–परफार्मिंग संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रतिभूतित अचल संपत्ति/यों, ऋण और ऋणी(यों) द्वारा देययोग्य तिथि तक बकाया राशि का विवरण भी यहां नीचे वर्णित किया गया है। ऋणी(यों) और सर्वसाधारण को एतद्द्वारा को सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी मौजूदा अधोहस्ताक्षरी, प्रतिभूतित ऋणदाता ने सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित ऋणी(यों) के प्रति कार्यवाही शुरू की है और सर्वसाधारण को उक्त संपत्ति के साथ डील नहीं करने की सलाह दी जाती है। इस सूचना के 60 (साठ) दिनों के भीतर उनके नाम के लिए निर्देशित बकाया देयों का भुगतान करने में असफल रहते हैं, अधोहस्ताक्षरी संपत्ति/यों का कब्जा लेने और उसे बेचने के अधिकार सहित सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत प्रतिभूतित ऋणदाता को प्रदत्त एक या अधिक शक्तियों का प्रयोग करेगा।

ऋणी(यों)/गारंटर(ओं) के नाम (शाखा का नाम)	मांग सूचना तिथि व राशि	प्रतिभूतित संपत्ति का विवरण (अचल संपत्ति)
शाखा : बियौरा एल.नं. : SEBIORA0205203 ऋणी : श्री एच. हीरालाल सह–ऋणी : श्रीमती एच. हेमलता कोली श्री एस संजीव बुनकर	28-06-2022 & 181035	भूमि बिल्डिंग के सभी भाग व पार्सल, खसरा नं. 200/3 में से, 720 वर्ग फुट के विस्तार के साथ, गांव–खटोली नगर परिषर्द पचौदा में स्थित, पी.एच. नं. 8 आर.एन. एम. पचौदा, गांव खटौली गुना, तहसील व जिला–गुना, म.प्र. उत्तर में : हजारी लाल की भूमि, दक्षिण में : 3 फुट गली, पूर्व में : पटाना बाई का घर, पश्चिम में : उमराव का घर, माप 720 वर्ग फुट गुना उप रजिस्ट्रेशन जिला और गुना रजिस्ट्रेशन जिला के तहत
शाखा : खरगौने एल.नं. : SEKRGN0253002 ऋणी : श्री प्रकाश सह–ऋणी : श्रीमती ममता बाई श्री काशीराम यादव	28-06-2022 & 403429	बिल्डिंग के सहित भूमि के सभी भाग व पार्सल, गांव साईखेड़ी पी.एच नं. 45 खसरा नं. 228/6, तहसील भिकनगांव, और जिला – खरगांव म.प्र. कुल माप क्षेत्र 3875.04 वर्ग फुट उत्तर में : गजानंद की भूमि, दक्षिण में : कॉमन रोड, पूर्व में : श्रीराम की भूमि, पश्चिम.में : सेलर की शेष भूमि, माप 3875.04 वर्ग फुट खरगोने उप रजिस्ट्रेशन जिला और खरगोने रजिस्ट्रेशन जिला के तहत
शाखा : बियौरा एल.नं. : SEBIORA0177850 ऋणी : श्री डी. दिनेश कुमार मेहर सह–ऋणी : श्रीमती डी सीमा बाई मेहर	28-06-2022 & 149438	बिल्डिंग के सहित भूमि के सभी भाग व पार्सल, बियौरा गांव सुथालिया वार्ड नं. 05 सुभाष वार्ड सर्वे नं. 652/1/3, तहसील बियौरा राजगढ़ (म.प्र.) कुल पता क्षेत्र 15 x 40 – 600 वर्ग फुट उत्तर में : अर्जुन सिंह सोंधिया की भूमि, दक्षिण में : 12 फुट चौड़ा/रोड, पूर्व : राधेश्याम को बेचा प्लॉट, पश्चिम : कंवरलाल का बेचा प्लॉट, माप 600 वर्ग फुट बियौरा उप रजिस्ट्रेशन जिला और राजगढ़ रजिस्ट्रेशन जिला के तहत
शाखा : गुना एल.नं. : SEIBGNA0175200 ऋणी : श्रीमती कुसुम अग्रवाल सह–ऋणी : श्री कैलाश अग्रवाल	28-06-2022 & 183879	भूमि के सभी भाग व पार्सल, गांव पिपरोड़ा खुर्द पी.एच. नं. 74 ग्राम पंचायत पिपरौड़ा खुर्द भूमि सर्व नं. 185/5 ब्लॉक नं. 13 ग्राम पंचायत सीमा के भीतर ग्राम पिपोरौदा खुर्द कुल माप क्षेत्र 600 वर्ग फुट उत्तर : प्रस्तावित 20 फुट चौड़ा रोड, दक्षिण : ब्लॉक नं. 20, पूर्व में : भोला गुर्जर का ब्लॉक नं. 14, पश्चिम में : ब्लॉक नं. 12, माप तहसील व जिला गुना, गुना उप रजिस्ट्रेशन जिला और गुना रजिस्ट्रेशन जिला के तहत
शाखा : कटनी एल.नं. : SEKATNI0291463 ऋणी : श्री कैलाश धर सह–ऋणी : श्रीमती उषा किरण	28-06-2022 & 125289	भूमि व बिल्डिंग के सभी भाग व पार्सल, आबादी खसरा नं. 185 के सहित, 2000 वर्ग फुट के विस्तार के साथ, मौउजा–मुडेहरा, हलका नं. 3/9, तहसील – विजयराघवगढ़ और जिला कटनी म.प्र. उत्तर में : खुद से संबंधित घर, दक्षिण में : सड़क, पूर्व में : सोमवती, पश्चिम : सड़क, माप 2000 वर्ग फुट सागर उप रजिस्ट्रेशन जिला और गुना रजिस्ट्रेशन जिला के तहत
शाखा : बियौरा एल.नं. : SEBIORA0253413 ऋणी : श्री महेंद्र सिंह गुर्जर सह–ऋणी : श्रीमती रामस्वरूप बाई	28-06-2022 & 262264	भूमि व बिल्डिंग के सभी भाग व पार्सल, और प्लॉट/आवासीय मकान बरौड़ा तहसील बियौरा में स्थित, पी.एच. नं. 85 बरौड़ा खसरा/भूमि खसरा आबादी सर्वे नं. 67/1/2 ग्राम बरौड़ा क्षेत्र में बरौड़ा तहसील बियौरा और जिला राजगढ़ कुल माप क्षेत्र 900 वर्ग फुट उत्तर : नारायण सिंह दक्षिण में : हरिनारायण, पूर्व में: चंद्रलाल, पश्चिम : सड़क माप 30 X 30 – 900 वर्ग फुट बियौरा उप रजिस्ट्रेशन जिला और राजगढ़ रजिस्ट्रेशन जिला के तहत
Branch : Anand Nagar L.No: SEANDNR0166907 Borrower: Mr. M. Dharmendra Singh Co – Borrower: Mr. C. Mohan Singh Mrs. M.Munni Bai	28-06-2022 & 126983	भूमि के सभी भाग व पार्सल, और भोपाल प्लॉट नं. 18 पी.एच. 21, खसरा नं. 57, 58, 59,60, 65, 217/58, 218/58 में स्थित आवासीय मकान गांव कोलऊ उमा विहार फेज 2 म्यूनिस्पिल रेवेन्यू भोपाल म्यूनिस्पिल कॉर्पोरेशन वार्ड नं. 74 के रिकोर्स कुल क्षेत्र मापं 800 वर्ग फुट उत्तर में :प्लॉट नं. 17, दक्षिण में : प्लॉट नं. 19 पूर्व में : प्लॉट नं. 28, पश्चिम में : सड़क माप 800 वर्ग फुट भोपाल उप रजिस्ट्रेशन जिला और भोपाल रजिस्ट्रेशन जिला के तहत
शाखा : बियौरा एल.नं. : SEBIORA0235117 ऋणी : श्रीमती सीमा बाई सह–ऋणी : श्री किशन लाल	28-06-2022 & 252255	बिल्डिंग सहित भूमि के सभी भाग व पार्सल, पी.एच नं. 07, सर्वे नं. 389/2/1 और 326/2/1/1, वार्ड नं. 18, रविशंकर वार्ड, तहसील बियौरा लि, राजगढ़ म.प्र. कुल माप क्षेत्र 600 वर्ग फुट उत्तर में : आजाद सिंह का मकान दक्षिण में : सेलर का प्लॉट, पूर्व में : सेलर का प्लॉट पश्चिम में : 20 फुट चौड़ा रोड़ माप 600 वर्ग फुट (55.746 वर्ग मीटर) बियौरा उप रजिस्ट्रेशन जिला और बियौरा रजिस्ट्रेशन जिला के तहत
शाखा : पिपारिया एल.नं. : SEPPRYA0220775 ऋणी : श्रीमती प्रेमलता विश्वकर्मा सह–ऋणी : श्री ओम नारायण विश्वकर्मा	28-06-2022 & 188693	भूमि व बिल्डिंग के सभी भाग व पार्सल, खसरानो 230/25, 231/7 पी.एच. नं. 17, तहसील पिपरिया जिला होशंगाबाद म.प्र. कुल माप क्षेत्र 1110 वर्ग फुट का विस्तार, उत्तर में : सारथी का मकान, दक्षिण में : अन्य प्लॉट, पूर्व में : लटूरीलाल का प्लॉट, पश्चिम : सड़क माप : 1110 वर्ग फुट होशंगाबाद उप रजिस्ट्रेशन जिला और होशंगाबाद रजिस्ट्रेशन जिला के तहत
शाखा : अधरताल एल.नं. : SEADRTL0220268 ऋणी : ज्ञानचंद असाती सह–ऋणी : संतोष	29-06-2022 & 364508	अनुसूची – । सह–आवेदक : रश्मि आसती भूमि के सभी भाग व पार्सल एक बिल्डिंग आबादी खसरा नं. 939/1 के सहित, 600 वर्ग फुट के विस्तार के साथ, मौउजा–गांधी ग्राम, हलका नं. 81, तहसील–सिहोरा, जिला जबलपुर म.प्र. में स्थित उत्तर : प्रकाश काची का मकान, दक्षिण में : राकेश पांडे का मकान, पूर्व में : सड़क पश्चिम : खाली भूमि माप : 1600 वर्ग फुट जबलपुर उप रजिस्ट्रेशन जिला और जबलपुर रजिस्ट्रेशन जिला के तहत
शाखा : उज्जैन एल.नं. : SEUJAIN0203083 ऋणी : श्री माखन सिंह सह–ऋणी : श्रीमती संजू बाई	01-07-2022 & 249941	अचल मकान नं. 122 के सभी भाग व पार्सल गांव झिरोलिया पी.एच नं. 18 खसरा नं. 378 तहसील व जिला उज्जैन कुल क्षेत्र 2250 वर्ग फुट मैप व अन्य दस्तावेज के अनुसार बियरिंग तहसीलदार उज्जैन केस नं. 76/ए16/11/17–18 दिनांक 18.06.2018 से स्वामी प्रमाणपत्र और श्री माकन सिंह पुत्र श्री सत्यनारायण निवासी गांव झिरोलिया तहसील व जिला उज्जैन के पक्ष में कार्यालय ग्राम पंचायत झिरोलिया तहसील व जिला उज्जैन से गिरवी को एनओसी के उद्देश्य से माप संलग्न मैप के अनुसार भूमि, कुल क्षेत्र 2250.00 वर्ग फुट सीमाए : पूर्व : श्री जुझरसिंह जी का मकान, पश्चिम : चौक, उत्तर : श्री जगदीश जी का मकान, दक्षिण : कॉमन रोड

स्थान : मध्य प्रदेश **दिनांक : 30.07.2022** **हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी, इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक लि.**

SHAKTI® PUMPING LIFE

शक्ति पम्पस् (इंडिया) लिमिटेड

सीआईएन : **L29120MP1995PLC009327**
पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट नं. 401, 402 एवं 413, सेक्टर-III, इण्डस्ट्रीयल एरिया, पीथमपुर जिला धार (म.प्र.)-454 774, फोन: 07292-410500, फैक्स: 07292-410645
ई-मेल : cs@shaktipumpsindia.com, वेबसाईट : www.shaktipumps.com

कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों के लिए सूचना

विषयः निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) खाते में कम्पनी के इक्विटी शेयरों का हस्तांतरण

यह सूचना कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 124 के तहत एवं कारपोरेट मामलों द्वारा अधिसूचित निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, हस्तांतरण और रिफण्ड) नियम, 2016 (''नियम'') के प्रावधानों के अनुसार प्रकाशित हुई है। अन्य मामलों के बीच, इन नियमों में, सभी शेयर जिनके संबंध में लगातार सात साल या उससे अधिक के लिए लाभांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया ऐसे सभी शेयरों का हस्तांतरण निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 124(6) के तहत भारत सरकार द्वारा गठित एक कोष में किया जाना अनिवार्य है।

कंपनी ने संबंधित शेयरधारकों को कंपनी के साथ पंजीकृत उनके पते पर व्यक्तिगत संचार भेजा है, जिनके शेयर उक्त नियमों के तहत आईईपीएफ को हस्तांतरित किए जाने के लिए अधीन है। इस नोटिस के द्वारा सूचना दी जाती है कि जिन शेयरों पर लाभांश का दावा 7 वर्षों से नहीं किया गया है, अर्थात वर्ष 2014-15 से उन्हें IEPF में हस्तांतरित करने का प्रस्ताव है।

दावा न किए गए लाभांश और आईईपीएफ को हस्तांतरण के लिए देय शेयरों का विवरण भी कंपनी की वेबसाइट **www.shaktipumps.com** पर उपलब्ध है।

संबंधित शेयरधारकों से एतद् द्वारा अनुरोध किया जाता है कि वे 01 नवंबर, 2022 को या उससे पहले कंपनी को एक आवेदन करके अपनी लाभांश राशि का दावा करें। यदि उक्त तिथि को या उससे पहले कोई वैध दावा नहीं किया जाता है, तो कंपनी शेयरों को IEPF में हस्तांतरण के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी।

फिजिकल रूप में शेयर रखने वाले संबंधित शेयरधारक और जिनके शेयर आईईपीएफ में हस्तांतरण होने के लिए उत्तरदायी हैं, वे ध्यान दें कि कंपनी आईईपीएफ और कंपनी को शेयरों के हस्तांतरण के उद्देश्य से उनके द्वारा रखे गए मूल प्रमाण पत्र के बदले डुप्लीकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी करेगी। डुप्लीकेट शेयर प्रमाण पत्र को डीमैट फॉर्म में बदलने और आईईपीएफ के पक्ष में हस्तांतरण के लिए कॉर्पोरेट एक्शन के माध्यम से डिपॉजिटरी को सूचित करेगा। इसके अलावा, मूल शेयर प्रमाण पत्र जो मूल शेयरधारकों के नाम पर पंजीकृत हैं जो आईईपीएफ को हस्तांतरित कर दिया जाएगा एवं वह स्वचालित रूप से रद्द हो जाएगा और गैर–परक्राम्य माना जाएगा। डीमैट रूप में शेयर रखने वाले संबंधित शेयरधारक ध्यान दें कि कंपनी आईईपीएफ के ड

Cop caught on camera thrashing elderly, suspended

BHOPAL: A police constable of Rewa district was suspended on Friday after a video of him thrashing and dragging a senior citizen went viral on social media.While the constable was kicking and dragging the old man, several people present at the platform of Jabalpur Railway station were mute spectators. The incident came to the fore as a passenger made a video of the entire episode and posted it on social media which went viral.

Harit Vasundhara Abhiyan launched

FP NEWS SERVICE
Ujjain

NAAC cell of Madhya Pradesh has launched 'Harit Vasundhara Abhiyan (Green Earth Campaign)'.

An initiative has been taken by the department of higher education to develop environmental awareness and love for greenery among the youth through the Harit Mission (Green Mission).

Higher education minister Mohan Yadav launched the drive from Ujjain on Friday. He said that plantation is necessary to reduce the ever-increasing temperature in the world and preserve the greenery of the earth.

"At the time of the Corona pandemic, we realised the importance of oxygen. Through Harit Vasundhara, students will not only plant saplings but will also understand their responsibility towards the society," Yadav added.

The Green Ambassadors

The college will motivate the students to plant 100 saplings every year under the campaign. The first year students will plant a sapling in the college campus as green ambassadors and will also take care of the plant during the study period.

Before leaving the college, they will assign the task of taking care of the plant to a fresher first year student. The college will ensure to plant at least 100 saplings in its campus in a year. Apart from this, the college will encourage students and employees to plant saplings on various occasions like birthday, anniversary, environment day, earth day, water day, nature day etc. The student who planted maximum trees and took care of them would be honoured as Green Ambassador of the institute in the final year.

Ujjain college to motivate students to plant 100 saplings every year

TEACHER TO BE NODAL OFFICER

A teacher will be appointed as the nodal officer and a boy or a girl student will be appointed as the student coordinator. In the colleges having eco club, the in-charge will be made the nodal officer. The records of GPS tagged photographs will be maintained by the nodal officer on quarterly basis to ensure the growth of the plant.

Junior Mehmood to get 'Rafi Samman' today

FP NEWS SERVICE
Ujjain

Bollywood artist Junior Mehmood will be conferred 'Rafi Samman' during a programme titled 'Ek Shaam, Rafi Ke Naam'. The Mohammed Rafi Samajik Shodh Sansthan has organised this programme on Saturday from 7 pm at the Kalidas Sanskrit Academy auditorium to mark the 42nd death anniversary of the legendary playback singer.

Academy director Dr Tejkumar Malviya informed that singers Ashutosh Purohit, Ali Hussain, Harish Tiwari, Sabir, Anita Solanki, Neha Acharya, Nikita and Durga Malviya will recite the all-time popular songs of Mohammed Rafi. Roopak Jadhav (synthesizer), Abhishek Salke (octopod), Brajesh Anjaan (tabla) and Rohit Marmat (dholak, kango) will give the music. Yudhishdhir Kulshreshtha is the programme coordinator while Dr Vishwas Tiwari will compeer the entire event.

'One must dream and combine it with will power to achieve goals'

FP NEWS SERVICE
Ujjain

600 school students attend VU seminar

Students of different schools participate in a seminar on "career counselling and personality development" and "Kulpati ke sath samvad" programme in Ujjain on Friday FP PHOTO

Vikram University (VU) organised a seminar on "Career Counselling and Personality Development" and "Kulpati Ke Sath Samvad" (interaction with vice-chancellor), here on Friday, in which more than 600 students participated.

The programme was organised in Vikram Kirti Mandir where the event started with counselling sessions by different subject experts and ended with direct interaction of vice-chancellor (VC) Prof Akhilesh Kumar Pandey. Chief guest of the programme was Anand Sharma, district education officer while Sanjay Nahar, member of educative council of VU and Varun Gupta, academician, were special guests.

Students from different schools viz Gyan Sagar Academy, Gyan Sagar Girls Academy, St Mary's Convent Senior Secondary School, Stanford International School, Vijayaraje Girls Higher Secondary School, Madhav School of Excellence, Model School, Government Girls Higher Secondary School Dussehra Maidan etc took part. In his presidential address Prof Pandey told that meeting children from different schools reminds him about his childhood days. He also told that the New Education Policy allows students to study multidisciplinary subjects at same time. He clarified that the concept of Prime Minister's circular economy, skill development, Aatmnirbhar Bharat, Clean India Mission, Beti Bachao Beti-Padhao Andolan relies on the contribution of India's youth as the development of any nation, lies on the development and utilisation of its human resources. He told students that for achieving bigger goals in life dreaming for such goals is an essential prerequisite which should be followed by hard work, commitment, dedication and strong will power. He also explained about different job oriented courses being run by the university, and narrated that the university aims to develop "Job Creators rather than Seekers".•

On this occasion, Anand Sharma stated that this programme is very useful for students and the students should visit various departments of varsity where they should interact with the teachers of these departments.

He requested the VC to conduct such sessions frequently. Registrar Dr Prashant Puranik said that VU is running more than 240 different courses and has started admission via CUET. Varun Gupta guided students about personality development and skill based courses.

Proctor Prof Shaillendra Kumar Sharma told that career counselling and personality development is necessary for all students and that these two are required for shaping an individual's personality.

The welcome speech was given by Dr SK Mishra, DSW. The programme was conducted by Kanchan Thool and Dr Shivi Bhasin proposed a vote of thanks.• Organising secretary of the event were Dr Arvind Shukla, Dr Shivi Bhasin, Dr Raman Solanki, Dr Ajay Sharma, Anjali Upadhyaya and co-organising secretary of the programme were Dr Garima Sharma, Dr Bhrama Dutt Shukla and Kanchan Thool, Mohit Prajapati, Shivam Sharma and Dr Purnima Tripathi.

Diggy's photo 'holding' collar of cop goes viral

STAFF REPORTER
city.bhopal@fpj.co.in

Former chief minister Digvijaya Singh's photo 'holding' collar of a cop during zila panchayat president election here on Friday went viral on social media triggering sharp reaction from BJP and demand of action against the Congress leader.

Tempers frayed leading to ruckus at zila panchayat building with Congress leaders accusing the BJP leaders including ministers Vishwas Sarang and Bhupendra Singh and also MLA Rameshwar Sharma of allegedly misusing government machinery to influence and intimidate the zila panchayat members.

The temperature soared when Congress Rajya Sabha Member Digvijay Singh, former Union Minister Suresh Pachauri tried to stop the vehicle of minister Bhupendra Singh. The Congress leaders claimed that the three women members of Zila Panchayat who were sitting in the car of Bhupendra Singh belonged to Congress. They claimed that the BJP had lured the Congress-supported members to its side at the eleventh hour of the voting.

The atmosphere became tense when Digvijaya entered into a heated argument with a senior cop after he was denied entry into the office premises. He almost tried to become physical with the cop. Later a picture of Digvijaya wherein his hands are seen on the collar of cops went viral on social media.

The act of Digvijaya invited sharp criticism from BJP. Even Chief Minister Shivraj Singh Chouhan reacted strongly by tweeting that such behaviour does not befit a former chief minister. "Victory and defeat goes hand in hand in democracy but such kind of behaviour of your holding the collar of a cop is highly objectionable. Who gave this right to you," he tweeted. However, ex Congress Corporator Amit Sharma defended the former CM saying that Digvijaya never intended to hold a cop's collar.

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL

Government of India, Ministry of Finance, Department of Finance Services, (Banking Division)
797-II, Shanti Kunj, South Civil Lines, Jabalpur 482001 (M.P.)

Case No.: RC/70/2019 in O.A. No. 265/2017

BANK OF BARODA Vs M/s. SHRI GAUTAM WAREHOUSE

E-AUCTION No. 115/2022

Under mentioned properties will be sold by "on line e-auction" through website **https://www.bankeauctions.com** for recovery of a sum of **Rs. 88,27,059.63 (Rupees Eighty Eight Lakh Twenty Seven Thousand Fifty Nine and Sixty Three Paise only)** payable by you/him in respect of Recovery Certificate in **O.A.No. 265/2017** issued by the Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal, Jabalpur with interest @ **12.00%** p.a. with simple Interest from **24-03-2017** and costs payable as per recovery certificate till realization.

Date and Time of E-auction: 07-09-2022 Between 12.00 Hours and 13.00 hours.

SPECIFICATION OF THE PROPERTIES PUT FOR SALE

A Ware House Building named M/s. Goutam Ware House on Survey No. 3022/2/1, 3022/2/2 P.H. No. 14, Gram- Panbihar, Tehsil- Ghatiya, District- Ujjain (MP), Land Area admeasuring 8000 Sq. Mtr.; Construction area 1492.50 Sq. Mtr., Property in the name of Smt. Laxmi Goutam w/o Sh. Vijay Singh Goutam.

Upset Price : Rs.1,05,80,000.00 (Rupees One Crore Five Lakh Eighty Thousand only).

Conditions of Sale: (1) Intending bidders must hold a valid digital signature certificate. For details contact **M/s. C-1 India Pvt.Ltd. website: https://www.bankeauctions.com; Helpline No. 0124-4302020/21/22/23/24, for help a bidder in e-auction contact to Mr. Danish Khan on Mob. No. 9826804343, 9111444797; E-mail id- mpcg@c1india.com or 8319822113, E-mail ID: support@bankeauctions.com** (2) Intending bidders are advised to go through website **https://www.bankeauctions.com** for auction bid form and details, terms and conditions of sale before submitting their bids. (3) Bids should be submitted only online in the prescribed form along with a copy of identity document as an attachment to the bid form (refer detailed terms and conditions). Bidder should satisfy them self with regard to correctness, measurement, encumbrances etc by their own sources (Govt. Office) also later on DRT will not be responsible for this. (4) 10% of the upset price i.e. EMD/Bid price **Rs. 10,58,000.00 (Rupees Ten Lakh Fifty Eight Thousand only)** must be remitted towards EMD through RTGS/ NEFT / Money Transfer to the credit of Account No. **07170200000431** in the name of Recovery Officer, E-auction account, DRT Jabalpur with **BANK OF BARODA, NAPIER TOWN BRANCH, JABALPUR. (IFSC Code: BARB0NAPIER)** and the remittance must be clearly mentioned in the bid form. (5) **Bids should be submitted on or before 17.00 Hours on 05-09-2022 online.** (6) A copy of the bid form along with its enclosure submitted online should be sent to Recovery Officer, DRT, Jabalpur, 797-II, Shanti Kunj, South Civil Lines, Jabalpur so as to reach at the earliest. (7) Online bidding will commence from the highest bid quoted among the bids and the minimum increase for each bid will be **Rs. 1,00,000.00 (Rupees One Lakh only).** In case of bid received before closure of Auction window, there shall be an automatic extension of 5 minutes in Auction time by the system. (8) The refund of EMD of the unsuccessful bidders will be remitted to the same account from which the payment has been made and no inquiry in this regard will be entertained, After deposit of EMD by intending bidder they cannot withdraw the EMD amount until they are declared as "Unsuccessful bidder" otherwise the amount will be forfeited. (9) In the case of immovable property listed in the schedule below, the successful bidder shall remit 25% of the bid amount (less EMD) on the next day on declaration, if the sale is knocked down in his / her favour through RTGS/NEFT/Money Transfer to the Account No. **07170200000431** mentioned in SL. No. 4 and in default of such deposit, the property shall forthwith be put up again and resold and amount deposited as EMD will be forfeited. (10) The successful bidder shall remit balance 75% of the sale amount along with poundage of 1% of sale amount plus Rs. 10/- for each property separately within 15 days of auction, to the Account No. **07170200000431** mentioned at SL. No. 04 through RTGS/NEFT/Money Transfer, exclusive of such day, or if the 15th day be a Sunday or other holiday, then on the first office working day after 15th day. In default of payment within the period mentioned above, the property shall be resold after the issue of a fresh proclamation of sale. The deposit will be forfeited to the Government and the defaulting purchaser shall forfeit all claims to the property or to any part of the sum for which it may subsequently be sold. (11) Property will be sold **"As is Where is and No Complaint basis"**. (12) The properties can be inspected on **20-08-2022** between 12.00 Hrs. to 16.00 Hrs. (13) Properties will not be sold below the upset price. (14) Recovery Officer have the absolute right to accept or reject the bid or postpone / cancel the sale without assigning any reason. (15) Intending bidders are advised to peruse copies of the title deed available with the **Shri S. C. Vyas, Sr. Manager, Mob. No. 8154965890** and also check the identity and correctness of the property details and encumbrances etc. from their own sources also. DRT will not be responsible for correctness etc. (16) Details regarding e-auction shall be obtained from **M/s. C-1 India Pvt. Ltd., website: https://www.bankeauctions.com; Helpline No. 0124-4302020/21/22/23/24, for help a bidder in e-auction contact to Mr. Danish Khan on Mob. No. 9826804343, 9111444797; E-mail id- mpcg@c1india.com or 8319822113, E-mail ID: support@bankeauctions.com** (17) Further property details if any required shall be obtained from **Shri S. C. Vyas, Sr. Manager, Mob. No. 8154965890.** (18) The bidders may participate in the e-auction by quoting / bidding from their own offices / places of their choice. Internet connectivity shall have to be ensured by each bidder himself. DRT / Bank / Service Provider shall not be held responsible for the internet connectivity, network problems, system crash down, Power failure etc.

Place: Jabalpur
Date: 26-07-2022

(Satish Solanki)
Recovery Officer, DRT, Jabalpur (M.P.)

न्यायालय अपर जिला दण्डाधिकारी इन्दौर
(अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर कक्ष क्रमांक जी-7/जी-11)

प्रकरण क्रमांक /0060/बी-121/22-23
इन्दौर, दिनांक- 21.07.2022

समाचार विज्ञप्ति

1. राज शब्दानी
2. अवनी शब्दानी
दोनो का पता – हाउस नं.49, एम. आर 4 महालक्ष्मी नगर – 452001
अन्य पता – प्लॉट नं. 205, सेकेण्ड फ्लोर, शुभ–लाभ द्वारका ब्लॉक–सी एट लैंड बियरिंग सर्वे नं. 69/1,69/8,69/9 विलेज पिपलियाकुमार तह व जिला इन्दौर 452001

--00--

प्रार्थी **प्राधिकृत अधिकारी ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्रायवेट लि. पता – नं.9, एम. पी नगर, फर्स्ट स्ट्रीट, कोंगू नगर, एक्सटेंशन तिरुपुर 641607 प्राधिकारी द्वारा निवेदन किया कि बंधक संपत्ति– प्लॉट नं.205, सेकेण्ड फ्लोर, शुभ –लाभ द्वारका ब्लॉक–सी एट लैंड बियरिंग सर्वे नं. 69/1,69/8,69/9 विलेज पिपलियाकुमार तह. व जिला इन्दौर 452001 कुल क्षेत्रफल 786 वर्गफीट** पर बकाया ऋण राशि का चुकारा आपके द्वारा नहीं किया गया और न ही प्रतिभूति संपत्ति का कब्जा ही सौंपा गया है। अतः वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिभूतहित प्रवर्तन अधिनियम की धारा 14 में प्रतिभूति के रूप में रखी संपत्ति का कब्जा दिलाया जावे।

अतः इस संबंध में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि मामले की सुनवाई हेतु न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर कक्ष नम्बर जी-7/जी-11 में **दिनांक 02/08/2022 दोपहर 02:00** बजे होगी। आप प्रकरण के संबंध में समस्त दस्तावेज व साक्ष्य सहित उपस्थित रहे। आपकी अनुपस्थिति की दशा में प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

अपर जिला दण्डाधिकारी
जिला इन्दौर

SHAKTI®
PUMPING LIFE

SHAKTI PUMPS (INDIA) LTD.

CIN : L29120MP1995PLC009327
Regd. Off.: Plot No. 401, 402 & 413, Sector-III, Industrial Area, Pithampur Dist. Dhar (M.P.)-454774, Phone : 07292-410500, Fax: 07292-410645
Email : cs@shaktipumpsindia.com, Website: www.shaktipumps.com

NOTICE TO EQUITY SHAREHOLDERS

Sub: Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Account

Notice is hereby given that pursuant to the provision of Section 124 of the Companies Act 2013 ("the Act") read with the Investors Education and Protection Fund Authority (Accounting Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (the Rules) as amended from time to time, the Company is mandatorily required to transfer the Equity Shares of the Company on which dividend entitlements have remained unclaimed or unpaid for seven consecutive years or more to the Investor Education and Protection Fund (IEPF), a fund constituted by the Government of India under Section 124(6) of the Companies Act, 2013.

The Company has sent individual communication to the concerned shareholders at their address registered with the Company whose shares are liable to be transferred to IEPF under the said Rules. By this notice intimation is given that the shares on which dividends have not been claimed for 7 years i.e. since the year 2014-15, are proposed to be transferred to IEPF.

The relevant details of unclaimed dividend and shares due for transfer to IEPF have also been uploaded on the Company's website: **www.shaktipumps.com.**

The concerned shareholders are hereby requested to claim their dividend amounts by making an application **on or before 01st November, 2022** to the Company. In case, no valid claim is made on or before the said date, the Company will be compelled to take required action for transfer of the shares to the IEPF.

Concerned shareholders holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF, may note that the Company would be issuing duplicate share certificate in lieu of the original certificate held by them for the purpose of transfer of shares to IEPF and the Company shall inform the depository by way of corporate action to convert the duplicate share certificate into demat form and transfer in favour of IEPF. Further that the original share certificate which is registered in the name of original shareholders and Transferred to the IEPF will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. Concerned shareholders holding shares in dematerialized form may note that the Company shall inform the depository by way of corporate action for transfer of shares in favour of the demat account of the IEPF.

In case, the concerned shareholders wish to claim the shares after transfer to IEPF, a separate application has to be made to the IEPF Authority in Form IEPF-5, as prescribed under the Rules and the same is available at IEPF Website **(www.iepf.gov.in). Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed Dividend amount & Shares transferred to IEPF Authority pursuant to said rules.**

For any information / clarification on this matter, concerned shareholders may write to the Company at **cs@shaktipumpsindia.com** or contact the Company's Registrar and Share Transfer Agent **Adroit Corporate Services Pvt. Ltd.,** 17-20, Jafferbhoy Ind. Estate, Marol Naka, Andheri (E), Mumbai 400059, India Tel. 022-42270400, Email: **info@adroitcorporate.com.**

for **Shakti Pumps (India) Limited**
Sd/-
Ravi Patidar
Company Secretary

Date: **29.07.2022**
Place: **Pithampur**

pnb पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
Oriental United

Circle SASTRA Center Ujjain
B-13/1, 13/2, 1st Floor, Mahakal Vanijya Kendra
Nanakheda, Ujjain, (M.P.), Email: cs8329@pnb.co.in

PUBLIC E-AUCTION NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 9(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Punjab National Bank (The Secured Creditor) and physical/ symbolic possession of which has been taken by the Authorized Officer of the Punjab National Bank (The Secured Creditor) on the dates mentioned against them, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is"on **02.09.2022, from 10.00 AM to 04.00 PM,** for recovery of its dues due to the Bank/ Secured Creditor from the respective borrower (s) and guarantor (s). The reserve price and the earnest money deposit will be as mentioned in the table below against the respective properties.

LAST DATE OF SUBMISSION OF EMD AND BID DOCUMENTS : 01-09-2022

DATE AND TIME OF E-AUCTION: 02.09.2022 BET. 10.00 AM TO 04.00 PM (EXTENSION OF 10 MINUTES WILL BE GIVEN, IF NECESSARY)

S. No.	Name of Borrowers/ Branch	Detail of Property & Name of the owner / Mortgagor	Secured Debts	Date of Demand Notice / Date of Possession	Reserve Price (Rs. in Lac)	Earnest Money Deposit (Rs. in Lac)	Incremental bid amount (Rs. in Lac)
1.	**Smt. Smriti Baheti W/o Shri Nakul Baheti & Shri Nakul Baheti S/o Shri Raman Baheti Branch : Dewas Bajrangpura**	Residential Flat No. 302, 3rd Floor, Tower No. E, Panchshil Towers, Vill. Wgholi, Teh. Haveli, District Pune, Maharastra. Area 2453.96 Sq.Ft., **Bounded by :** East- Gat no. 1281, West- Gat no. 1284, North- Amenity Space, South- Proposed 24 MT wide RP Road; **Owner - Smt. Smriti Baheti W/o Shri Nakul Baheti (Symbolic Possession) Note : Visit of property shall be done on dummy flat available with the builder**	**Rs.1,54,87,087.62** + Intt + other charges of PNB AND **Rs. 49,66,636** + intt + Other Charges as per email dated **29.06.2022** received from builder i.e. M/s. Panchshil Realty, Pune amount payable to them.	10.11.2021 / 31.01.2022	282.00	28.20	2.82
2.	**1) M/s Shri Ram Switchgears, Maharashtra 2) Mr. Indranarayan Jhalani, 3) Mr. Naresh Kumar Jhalani, 4) Shri Diweshkumar Jhalani, 5) Mrs. Gitaka Nileshkumar Jhalani, 6) Shri Trilok kumar Jhalani, 7) Mrs. Shobha Jhalani Guarantor-M/s Mahalaxmi Investment & Trading Pvt. Ltd. All Add-** Shri Ram Bhawan, Goshala Road, Ratlam (MP) **Branch : Ratlam Dhanmandi**	All that part and parcel of the property consisting of Industrial land on lease for 95 years commencing from 1st day of March 1973. Unexpired period of lease 46 years. Lessor- MIDC, Akola, Lessee- M/s.Shriram Switchgear Plot No- B-5, Shed No. B-4, Phase No-1, Near Water Supply Quarters, MIDC Akola, Taluka And Dist.- Akola, Maharashtra **Boundaries :** East - MIDC Land, West - 18.5 Mt. MIDC Road, North - Plot No- B-3, South - Plot No- B-5 **(Symbolic Possession)**	**Rs. 97,42,961.77** + Interest & other Charges	21.10.2021 / 05.07.2022	146.00	14.60	1.46

TERMS AND CONDITIONS OF E-AUCTION SALE :- The sale shall be subject to the Terms & Conditions prescribed in the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 and to the following further conditions : **(1)** The properties are being sold on **„AS IS WHERE IS BASIS and "AS IS WHAT IS BASIS" and "WHATEVER THERE IS BASIS".** **(2)** The particulars of Secured Assets specified in the Schedule hereinabove have been stated to the best of the information of the Authorised Officer, but the Authorised Officer shall not be answerable for any error, misstatement or omission in this proclamation. **(3)** The Sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the Website **https://www.mstcecommerce.com** on **02.09.2022 @ 10.00 AM to 04.00 PM. (4)** For detailed common term and conditions of the sale, please refer **www.ibapi.in,** or contact to us on **Mob. No. 7223906515. (5)** The successful bidder shall have to deposit 25% of successful bid within 24 hours of bidding & Rest 75% of the successful bid amount must be deposited within 15 days from the date of successful bidding. In case of default to deposit these amount within the prescribed period, the entire amount/amounts deposited by the bidder will be forfeited and the defaulting purchaser shall forfeit all claims to the property or to any part of the sum for which it may be subsequently sold. **(6)** Above auction will be held through **https://www.mstcecommerce.com** portal and interest bidder have to register themselves on portal **(https:www.mstcauction.com)** using their mobile number and email-id At their own expenses and have to create their WALLET & have to deposit their EMD and rest amount of bid by Cash/Transfer/Neft in their wallet. **(7)** The Authorised Officer is not bound to accept the highest offer and has the absolute right to accept or reject any or all offer(s) or adjourn/ postpone/ cancel the e-auction without assigning any reason thereof. **(8)** Inspection of the property can be done on **31.08.2022** at **12:00 PM to 04:00 PM**

Date: 30-07-2022, Place: Ujjain

Authorised Officer,
Punjab National Bank